

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

भवानी पिता किसान गुर्जर नि. जगमोहनपुरा
बनाम

देवकरण पिता तादु नाई नि. अमरगढ वगैराह

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 201 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नक्का व तारीख अहकाम जी एल. आर. ए. तारीख नं. जहाजपुर
12.04.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 503/23 कुल किता 01 रकबा 05.00 बीघा स्थित है। विपक्षीयण आवे दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 503/23 कुल किता 01 रकबा 05.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर कीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी भौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट सिध प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक/12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)